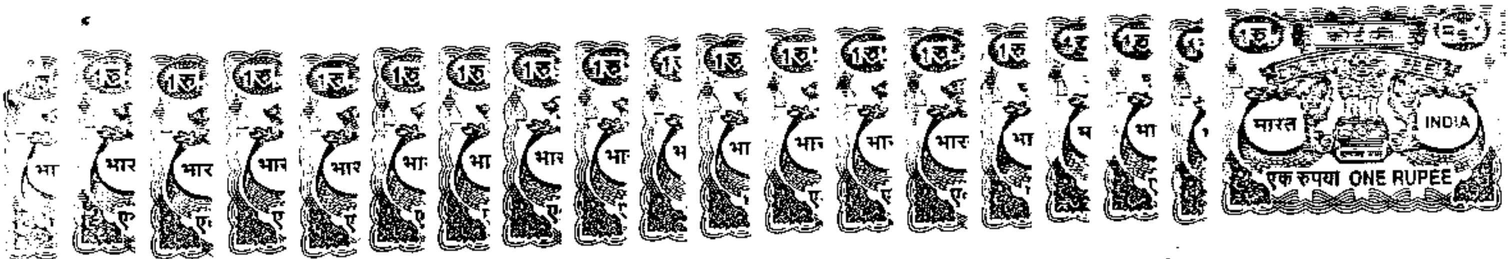

R. 5009-पी/16

मनबोध सिंह तनय वासुदेव सिंह क्षत्रीय, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम डोढ़ौ, पटवारी हल्का नेगुरा, तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 ....आवेदक/निगरानीकर्ता

<u>बनाम</u>

01. गणेश सिंह पिता युधिष्ठिर सिंह निवासी ग्राम ऊँची औनी, पटवारी हल्का नेगुरा, तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

02. शासन म0प्र0

......**अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण**

प्रकाश लोचन ... द्वारा आज दिनांक 4-01-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल त्योंथर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रं0 41/अ-12/2013-14 आदेश दिनांक 28.06.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण</u>

अ- यह कि गैरनिगरानीकर्ता क्रं0 1 द्वारा भूमि आराजी नं0 197/2, 178, 227/2 स्थित ग्राम ऊँची औनी, पटवारी हल्का नेगुरा, तहसील त्योंथर जिला रीवा में स्थित है जिसका सीमांकन का आवेदन न्यायालय राजस्व निरीक्षक त्योंथर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक के निर्देशानुसार पटवारी हल्का नेगुरा द्वारा उक्त भूमियों का सीमांकन करने के पूर्व सूचना पत्र जो दिनांक 14.06.2014 को जारी होना दर्शित किया गया जबकि सीमावर्ती कृषको को व निगरानीकर्ता को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई बल्कि निगरानीकर्ता के सूचना पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सूचना देना लेख किया गया व दिनांक 15.06.2014

मनबोध सिंह

(18)

R 5009-II/16 रीवा एड. श्री प्रकाश तोमर (90)
मनबोध सिंह / गणेश सिंह (91)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
19.4.16	अवकाश।	
20.4.16 (36)	.. आवेदक अभिभाषक श्री प्रकाश तो.म.उ. उपस्थित 2. माननीय सदस्य महो० का रीवा आगमन नहीं हो सका 3. वास्ते वापसी पर तर्क। पेशी तारीख 11-5-16 आज्ञा से रीडर राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा	11/5/16
11-5-16 (56)	1- आवेदक अभिभाषक श्री प्रकाश तोमर उप. 2- वास्ते वापसी पर तर्क. पेशी तारीख 12-5-16 सदस्य	12/5/16
12.5.16	प्रकरण में आवेदक अधि० उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण में ग्राह्यता का समुचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है साथ ही आवेदक अधि० निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों को प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। सदस्य	

शाक्षेमुद्रा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.